भरतपुर के गांव लुहासा में कफ सिरप के सेवन से एक बच्चे की और मौत

खांसी-जुखाम की शिकायत पर परिजनों ने दो बच्चों को वैर उपजिला अस्पताल में दिखाया था

भरतपुर, (निसं)। प्रदेश में खांसी की सिरप जानलेवा साबित हुई है। भरतपुर में इसी खांसी सिरप से एक बच्चे की मौत का और मामला सामने आया है। परिजनों का दावा है कि इसी सिरप से बच्चे की मौत हुई है।

गांव लुहासा निवासी निहाल सिंह ने बताया कि मेरे दो बच्चे थे। बड़ा बेटा थान सिंह लगभग दो साल और छोटा बच्चा तीर्थराज जिसकी उम्र दो साल थी, जिन्हें 23 सितंबर को खांसी-जुखाम की शिकायत थी। दोनों को सुबह 11 बजे के आसपास वैर के उपजिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक बबलू मुद्गल को दिखाया, जिन्होंने दवाई लिखने के साथ सीरप लिखी। घर 12 बजे आकर छोटे बच्चे तीर्थराज को एक ढक्कन सीरप पिला दी। उसके बाद बच्चा सो गया। उन्होंने सोचा कि बच्चा सो रहा होगा, लेकिन चार घंटे बाद जब होश नहीं आया तो परिजन बच्चे को लेकर उपजिला अस्पताल वैर पहुंचे। चिकित्सक डॉक्टर बबलू मुद्गल मिले, जिन्हें बताया कि आपके द्वारा जो सीरप दी गई है, उसी से तबीयत खराब हुई है। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जनाना अस्पताल भरतपुर रैफर किया, जहां बच्चे को भर्ती किया। बच्चे को होश नहीं आने पर 24 सितंबर शाम तीन बजे जयपुर जेके लोन में रैफर किया, जहां बच्चे को भर्ती कराया। बच्चे को होश नहीं आया और चिकित्सकों ने 27 सितंबर को सुबह चार बजे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद बच्चे का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद बयाना में सीरप का मामला सामने आने के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि यही सिरप बच्चे को दी थी। इसी से उनके बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद उन्होंने चिकित्सक को अवगत करा दिया है।

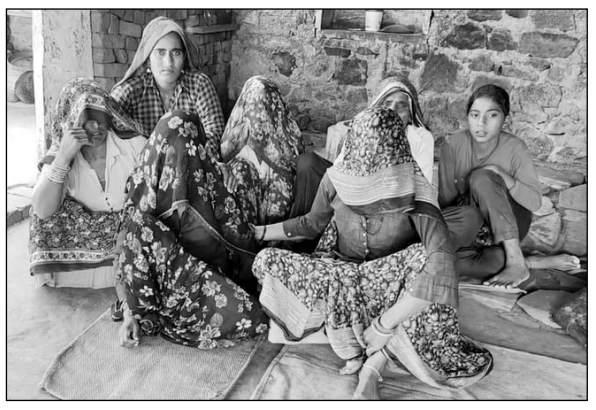

भरतपुर के गांव गांव लुहासा में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

- चिकित्सक ने दवाई लिखने के साथ सीरप लिखी और घर आकर छोटे बच्चे को एक ढक्कन सीरप पिलाई थी
- होश नहीं आने पर परिजन बच्चे को लेकर उपजिला अस्पताल वैर पहुंचे, चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जनाना अस्पताल भरतपुर रैफर किया
- इसके बाद भी बच्चे को होश नहीं आने पर 24 सितंबर को जयपुर जेके लोन अस्पताल भेजा, 27 सितम्बर को बच्चे को मृत घोषित कर दिया था

जल उपभोक्ता संगम के पूर्व अध्यक्ष पर गबन का आरोप

फर्जी बिल बनाकर राजकोष को लाखों का चूना लगाया, रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री मिली

श्रीगंगानगर, (निसं)। अनूपगढ़ के उदासर माइनर जल उपभोक्ता संगम के पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। वर्तमान अध्यक्ष ने उन पर फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए राजकोष से लाखों रुपए के गबन करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

एसीजेएम कोर्ट, अनूपगढ़ में दी शिकायत में जगदीश राम (46) निवासी ढाणी (श्रीविजयनगर) ने बताया कि वे जुलाई 2022 में जल उपभोक्ता संगम, उदासर माइनर-57 के अध्यक्ष बने। जब उन्होंने कैशबुक की जांच की तो उसमें जेसीबी से नहर सफाई के नाम पर कई फर्जी एंट्रीज मिलीं। 2017 से 2021 तक की कैशबुक में 8 हजार से 9600 रुपए तक की कई एंट्रीज दर्ज हैं, लेकिन न तो जेसीबी मालिक का कोई विवरण है और न ही ड्राइवर या मशीन का कोई रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, कुछ एंट्रीज तो पेंसिल से लिखी गईं, जो नियमों के खिलाफ है।

- वर्तमान अध्यक्ष ने फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए राजकोष से लाखों रुपए के गबन करने का आरोप लगाया

जगदीश ने बताया कि जब उन्होंने पूर्व अध्यक्ष बग्गा सिंह से इन बिलों का हिसाब मांगा, तो बग्गा सिंह ने कहा कि मैंने राजकोष की ठगी मारनी थी, जो मार ली। नहर की सफाई नहीं करवाई, न जेसीबी लगाई, न कोई पेमेंट दी। जगदीश ने अपने उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। जिसके बाद जगदीश ने रामसिंहपुर थाने और एसपी श्रीगंगानगर को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, उन्होंने अनूपगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट में शिकायत दी। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कॉन्स्टेबल मनरूप सिंह कर रहे हैं।

ट्रक कंटेनर से 20 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

पेपर रोल की आड़ में हरियाणा की शराब अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही थी

आबकारी निरोधक दल ने अवैध शराब जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया।

उदयपुर, (निसं)। आबकारी निरोधक दल खेरवाड़ा ने उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे-48 पर खरबर क्षेत्र में नाकाबंदी कर ट्रक कंटेनर की तलाशी लेकर 225 कार्टन में हरियाणा में विक्रय योग्य अंग्रेजी शराब की जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित लागत 20 लाख रूपए है।

आबकारी निरीक्षक वृत खेरवाड़ा जितेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि मुखबीर से प्राप्त गुप्त सूचना पर उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर खरबर क्षेत्र में नाकाबंदी कर ट्रक कंटेनर की तलाशी ली गई। इस कंटेनर में पेपर रोल की आड़ में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 225 कार्टन जब्त किए गए।

उक्त जब्त शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रूपए है। आबकारी निरीक्षक वृत खेरवाड़ा जितेन्द्र सिंह राठौड की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। कंटेनर में पेपर रोल की आड़ में हरियाणा की शराब की गुजरात सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। मौके से ट्रक चालक सौराब जिला मेवात हरियाणा को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया एवं ट्रक कंटेनर को जब्त किया। इस संबंध में नियमानुसार अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

आबकारी निरोधक दल की अवैध शराब पर कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक वृत खेरवाड़ा जितेन्द्र सिंह राठौड़, राहुल शर्मा आबकारी वृत निरीक्षक डूंगरपुर, कैलाशचंद्र यादव प्रहराधिकारी खेरवाड़ा, लक्ष्मण सिंह झाला गार्ड, जमादार मांगीलाल, सिपाही शंकरलाल, मन्नालाल, बंशीलाल एवं ईपीएफ टीम खेरवाड़ा शामिल रहे।

विदेश में कॉलेज एडमिशन के नाम पर ठगी, एक गिरफ्तार

अनूपगढ़, (निसं)। पुलिस ने विदेश में कॉलेज एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले दो साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को परिवादी वीरेंद्र सिंह ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाब के अमृतसर में एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी का विज्ञापन देखा था, जो विदेश में पढ़ाई के लिए भेजती है। विज्ञापन देखकर वीरेंद्र सिंह अमृतसर गए, जहां उनकी मुलाकात पलविंदर सिंह और रुपिंदर कौर पत्नी हरचरणजीत सिंह, निवासी अमृतसर से हुई। इन दोनों ने उन्हें अजरबैजान के एक कॉलेज में एडमिशन दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि कॉलेज की फीस वे खुद भरेंगे, बस उन्हें 3 लाख 65 हजार रुपए देने होंगे। परिवादी ने यह राशि नेट बैंकिंग के जरिए आरोपियों को भेज दी। आरोपियों ने वीरेंद्र सिंह को अजरबैजान भेज दिया, लेकिन उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। भारत लौटने पर जब उन्होंने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद अनूपगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एसआई सरदार सिंह मीणा को सौंपी। जांच शुरू होने पर दोनों आरोपी अपना ऑफिस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने न्यायालय से वारंट जारी करवाकर उनकी तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद भी जब वे नहीं मिले, तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया और स्टैंडिंग वारंट जारी हुआ। पुलिस की विशेष टीम के कॉन्स्टेबल सतनाम सिंह और श्रवण कुमार ने भगोड़े आरोपी पलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

- दो साल से फरार चल रहा था, अनूपगढ़ पुलिस ने पकड़ा

स्मैक सहित महिला गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ 21.37 ग्राम स्मैक सहित महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कार्रवाई के लिये पुलिस उप अधीक्षक गंगासहाय शर्मा के सुपरविजन में भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शहर एसपी ने बताया कि भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान हार्ट रोड पर कार्रवाई करते हुए सब्जीमंडी निवासी द्रोपदी (60) के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 21.37 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला तस्कर से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद-फरोख्त के बारे में अनुसंधान जारी है।

मारपीट का बदला लेने के लिए युवक को चाकू मारा

एक वर्ष पहले हुई मारपीट का बदला लेने के लिए युवक के पेट में चाकू घुसाया

भीण्डर हॉस्पिटल में घायल दीपक का चिकित्सकों ने इलाज किया।

भीण्डर, (निसं)। भीण्डर के रावलीपोल चौक में गत रात्रि दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक के पेट में चाकू लगने से गंभीर घायल हो गया। वहीं हॉस्पिटल में हमला करने वाले युवक के पिता का लट्ठ मारकर सिर फोड़ दिया। चाकू के हमले से घायल युवक को प्राथमिक उपचार करके उदयपुर रेफर किया, जहां उसकी स्थित नाजूक बनी हुई है। वहीं हमलावर के पिता के सिर पर चोट के बाद इलाज किया गया।

जानकारी के अनुसार भीण्डर के रावलीपोल चौक में रात करीब 11 बजे भीण्डर निवासी दीपक पिता राजू ओड़ (22) बाइक लेकर आ रहा था, इसी समय सामने से भीण्डर निवासी राहुल पिता नेतराम ओड़ (21) सहित तीन जने बाइक लेकर आये और पूरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों युवक आपस में झगड़ने लगे तभी राहुल ने चाकू से दीपक पर हमला कर दिया, जिससे दीपक के पेट व कान पर गंभीर चोंटे आई। जिससे दीपक गंभीर घायल हो गया। घायल दीपक को वहीं छोड़ करके बदमाश वहां से भाग छूटे। लोगों ने घायल दीपक को भीण्डर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करके उदयपुर के लिए रेफर किया।

- हॉस्पिटल में हमला करने वाले युवक के पिता का लट्ठ मारकर सिर फोड़ दिया

बदमाश राहुल के हमले से घायल हुए दीपक को हॉस्पिटल ले जाने की सूचना पर हमलावर के पिता नेतराम ओड़ भीण्डर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे तो वहां पर नेतराम ओड़ का भाई जगदीश और उसका लड़का राजू ने लड़के राहुल की करतूत पर उलहाना देते हुए नेतराम पर लट्ठ से हमला कर दिया, जिससे नेतराम ओड़ के सिर पर चोटें आई। भीण्डर पुलिस थाने में घायल दीपक ओड़ के अंकल अर्जुन पिता माधु ओड़ ने रिपोर्ट दी, जिसमें दीपक पर हमला करने वालों में मुख्य आरोपी राहुल पिता नेतराम ओड़, भूरिया पिता शंकर ओड़, उदेश पिता पप्पू ओड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरूवार रात को तीनों आरोपियों को डिटेन कर लिया। गत रात्रि करीब 11.15 बजे भीण्डर हॉस्पिटल में घायल का इलाज करने पहुंचे तो वहां परिजनों ने हंगामा कर दिया। दोनों गुटों के बीच आपसी लड़ाई व हंगामें से हॉस्पिटल में भर्ती मरीज व स्टॉफ सहम गया। इसके बाद पुलिस जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंच करके भीड़ को हॉस्पिटल से भगाया तो घायल का इलाज करके उदयपुर के लिए रेफर करवाया। भीण्डर हॉस्पिटल में हुई इस प्रकार की घटना के बाद सुरक्षाकर्मी लगाने की मांग की गई।

भरतपुर : बाइक सवार दो बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली

बदमाश बाइक से फरार हुए, मौके से खाली कारतूस बरामद, व्यापारी के पैर में लगी गोली

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के पैर में गोली मार दी। घटना सीएम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। बदमाश बाइक से व्यापारी का पीछा कर रहे थे।

- आसपास के कुछ लोगों का कहना है फायर हुआ है कुछ का कहना है कि फायर नहीं हुआ

घायल व्यापारी को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया।

व्यापारी बदमाशों को देख घबरा गया और उसकी स्कूटी एक मकान में जा घुसी। तभी बदमाशों ने व्यापारी के पैर में गोली मारी और फरार हो गए। व्यापारी अर्जुन मेघनानी निवासी जवाहर नगर पानी की टंकी के पास ने बताया कि दुकान से आते समय मेरे पीछे दो बदमाश लग गए। उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। बदमाशों ने मेरे पैर में गोली मारी। घटना जवाहर नगर की है। घटना रात 10 बजे की है। एक घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई।

एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि अर्जुन नाम का व्यापारी जवाहर नगर में रहता है। हीरादास चौराहे पर अर्जुन की परचून की दुकान है। अर्जुन अपनी दुकान बढ़ाकर रात करीब 10 बजे घर आ रहे थे। अर्जुन के घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश व्यापारी का काफी देर से पीछा कर रहे थे। रामा देवी के मकान के पास व्यापारी की स्कूटी गिर गई। तभी अर्जुन सड़क पर गिर गया। इतने में बदमाशों ने अर्जुन के पैर में गोली मारी और फरार हो गए। पड़ौसी उन्हें उठाकर घर छोड़ आये। एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि घटना के करीब एक बाद पुलिस को सूचना दी गई। अर्जुन और उसके परिवार ने घटना के बारे में पुलिस को नहीं बताया। व्यापारी के पैर में चोट आई है। फायरिंग करने की पुष्टि कर रहे हैं। आसपास के कुछ लोग कह रहे फायर हुआ कुछ कह रहे हैं फायर नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है।

मौके से मिला खाली कारतूस : दरअसल अर्जुन मेघनानी जब अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। तब से दो बदमाश उनका बाइक से पीछा कर रहे थे। अर्जुन को बदमाशों का पता लग गया। घर के पास आते ही अर्जुन बदमाशों के डर से घबरा गए और उनकी स्कूटी रामा देवी नाम की महिला के घर से जा टकराई। स्कूटी टकराने की आवाज सुन घर के अंदर मौजूद लोग बाहर आये। तभी बदमाशों ने हथियार निकालकर अर्जुन की तरफ एक फायर किया और फरार हो गए। मौके से खाली कारतूस भी बरामद किया गया है।

होटल पर पुलिस की रेड

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में एक होटल पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से 27 से अधिक महिला-पुरुषों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर एसपी को होटल में पिछले काफी लंबे समय अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सीओ सिटी विष्णु खत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी स्थित बस स्टैंड के सामने होटल में पिछले काफी लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां होने की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद दबिश दी गई। होटल में से 15 से अधिक युवक व 12 से अधिक महिलाओं को अरेस्ट किया गया है।

सीओ सिटी ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं पंजाब से आई थीं और कुछ लोकल है। इस होटल पर पहले भी करवाई की जा चुकी है।

अवैध मादक पदार्थ सहित एक गिरफ्तार :- कोटा में भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी 03.93 ग्राम सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान अजय आहूजा पार्क के पास नेहरू नगर निवासी हैदर अली (29) को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 03.93 ग्राम एमडी बरामद की। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

ठगी का आरोपी गिरफ्तार

रामगंजमण्डी, (निसं)। रामगंजमंडी पुलिस ने शहर स्थित कैप्री गोल्ड लोन बैंक में 26 सितम्बर को हुई ठगी के मामले में फरार अज्ञात अभियुक्त को मय ठगी की राशि के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की। सुजीत शंकर पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण ने बताया कि गत 26 सितम्बर को रामगंजमंडी में स्थित केप्री गोल्ड लोन बैंक में हुई ठगी के मामले में फरार अज्ञात अभियुक्त को मय ठगी की राशि के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गत 28 सितम्बर को परिवादी अब्दुल सलाम खान शाखा प्रबंधक केप्री गोल्ड लोन रामगंजमंडी ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ 1 लाख 80 हजार रूपये ठगी करने के मामले को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रकरण में ठगी की वारदात के बाद से ही अज्ञात अभियुक्त फरार हो गया था। अभियुक्त तलाश विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा फरार अभियुक्त को धरनावद गांव के पास से मय ठगी एवं बिना नंबरी मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने पशु परिचर पद के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे

हनुमानगढ़, (निसं)। यहां पशुपालन विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पशु परिचर पद के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे। यह मामला 29 सितंबर 2025 को सामने आया था।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़ के डॉ. आनंद स्वरूप ने हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि झुंझुनू जिले के लूटू गांव निवासी सचिन पुत्र रणवीर ने पशु परिचर के पद के लिए एक नकली आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया था। जांच में सामने आया कि कार्यालय के लेटर पैड पर पशु परिचर के पद पर उपस्थिति दर्ज करवाने का एक कूटरचित दस्तावेज बनाया गया था। इस पर संयुक्त निदेशक हनुमानगढ़ के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर, प्रकरण दर्ज कर उपनिरीक्षक मोहर सिंह को अनुसंधान सौंपा गया। गहन अनुसंधान और आरोपी सचिन कुमार से पूछताछ के बाद, यह पुष्टि हुई कि सचिन कुमार ने स्वयं फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया था और शिकायतकर्ता डॉ. आनंद स्वरूप के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। अपराध प्रमाणित होने पर, आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन कुमार उर्फ धोलिया (28), पुत्र रणवीर जाट, निवासी गांव लूटू, पुलिस थाना धंधूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं के रूप में हुई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मोहर सिंह और कॉन्स्टेबल महंगा सिंह शामिल रहे।

- संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़ के डॉक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फोन नः 0141-2228060-61, फैक्स नः 0141-2228065, ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in, CIN: U24232RJ2011SGC035067, Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.3( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2025-26/1919 दिनांक :- 25/09/2025

ई-निविदा सूचना 03/2025

जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के 12 माह की अवधि के लिए

निगम द्वारा 12 माह हेतु जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से ई-निविदाएँनिम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	अनु. राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई-निविदा शुल्क (₹)	RISL प्रोसेसिंग फीस (₹)	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	प्री-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित पैकर्स/ हेल्पस सेवा कार्य	519.00	10.38	2360.00 (2000+18% GST)	2360.00 (2000+18% GST)	26.09.2025 10.30 बजे	03.10.2025 3.30 बजे	15.10.2025 06.00 PM बजे तक	16.10.2025 03.00 PM तक	16.10.2025 05.00 PM तक

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.dipronline.org, sppp.rajasthan.gov.in एवं rmsc.health.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जाएगी। (UBN No-MSC2526SLRC00040) ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि Rs.2360-00 (2000+18%GST), RISL प्रोसेसिंग फीस राशि Rs. 2360.00 (2000+18%GST) व बोली प्रतिभूति राशि Rs. 10.38 लाख के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 16.10.2025 समय दोपहर 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरएमएससी

राज.संवाद/सी/25/11173